रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2010/श्रावण 13, 1932
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010/SHRAVANA 13, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 654(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73घ के साथ पठित धारा 73ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्य लाभार्थियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा सुविधा योजना, 2008, का अधिक्रमण करते हुए इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गए कार्यों के सिवाए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भण.–(1) यह योजना अन्य लाभार्थियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना, 2010 कहलाएगी ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. अनुप्रयोग.–यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना से पृथक केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अन्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों पर लागू होगी ।

3. परिभाषाएं.–इस योजना में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से आशय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) से है;

(ख) ''निगम'' से आशय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है;

(ग) ''व्यक्ति'' से आशय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अन्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों से है ।

(घ) इस योजना में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों तथा अभिव्यक्तियों से आशय क्रमश: अधिनियम में उन्हें दिए गए अनुसार होगा ।

4. पंजीकरण.–इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार और परिचर्या का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा–

(क) अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के संबंध में निगम द्वारा यथानिर्दिष्ट ब्यौरे दर्शाने वाला पंजीकरण प्रपत्र भरना,

(ख) निगम या केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उसे जारी किया गया पहचान-पत्र प्रस्तुत करना ।

5. लाभ.–इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कम उपयोग वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से चिकित्सा उपचार तथा परिचर्या उपलब्ध करायी जाएगी ।

6. प्रयोक्ता प्रभार.–(1) इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार तथा परिचर्या का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के परामर्श से निगम द्वारा अधिसूचित दरों पर प्रयोक्ताकर्ता प्रभारों की अदायगी करना अपेक्षित होगा ।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत एकत्र किए गए प्रयोक्ता प्रभारों को अंशदान माना जाएगा तथा वे कर्मचारी राज्य बीमा निधि का हिस्सा होंगे ।

7. चिकित्सा उपचार के लिए समय व तरीका.–अन्य लाभार्थियों द्वारा लिए गए चिकित्सा उपचार तथा परिचर्या का समय तथा तरीका समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा ।

8. रजिस्टर तथा अभिलेखों का रख-रखाव .–संबंधित अस्पताल इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार तथा परिचर्या का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति तथा उनसे वसूल किए गए प्रयोक्ता प्रभारों का निगम द्वारा यथानिर्धारित तरीके एवं रीति से अलग से रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा ।

[फा. सं. एस-38025/14/2008-एस. एस. 1]

एस. के. देववर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2010

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by Section 73B read with Section 73D of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called The Other Beneficiaries and Members of their Families Medical Facilities Scheme, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application.—This Scheme shall apply to other beneficiaries and members of their families registered under any scheme, other than the Employees State Insurance Scheme, framed by the Central Government.

3. Definitions.—In this scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(b) "Corporation" means the Emmployees' State Insurance Corporation;

(c) "Person" means a person, including members of their families, registered under any scheme, other than the Employees' State Insurance Scheme framed by the Central Government.

(d) All other words and expressions used and not defined in this scheme shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

4. Registration.—A person desirous of availing medical treatment and attendance under the Scheme shall be required to—

(a) fill a registration form containing such particulars in respect of himself and members of his family as may be specified by the Corporation;

(b) produce the Identity Card issued to him by the Corporation or issued under any other scheme framed by the Central Government.

5. Benefits.—Persons registered under this Scheme shall be provided medical treatment and attendance from the underutilized Employees' State Insurance Hospitals.

6. User Charges.—(1) Persons availing medical treatment and attendance under this Scheme shall be required to pay user charges at such rates as may be notified by the Corporation in consultation with the Central Government.

(2) The user charges collected under sub-paragraph (1) shall be deemed to be contribution and shall form part of the Employees' State Insurance Fund.

7. Time and Manner of the Medical Facility.—The time and manner in which the medical facilities may be availed by other beneficiaries shall be such as may be specified by the Corporation from time to time.

8. Maintenance of Register and Records.—The concerned hospitals shall maintain separate register and record of the persons availing medical treatment and attendance under this Scheme and user charges collected from them in such form and manner as may be specified by the Corporation.

[F. No. S-38025/14/2008-SS.I]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.